158

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– / XXVII(7)02 / 2010
देहरादूनः दिनांकः08 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 251/XXVII(7)02/2013, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 से मंहगाई राहत पुनरीक्षित पेंशन 107 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित पेंशन 212 प्रतिशत की दर से दिनांक 01–07–2014 से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में राज्य सरकार के समस्त उपरोक्त उल्लिखित पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित दरों को पुनरीक्षित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2015 से क्रमशः 113 प्रतिशत एवं 223 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाय।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 /दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(भास्करानन्द)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No /XXVII(7)02/2010
Dehradun: Dated:08 जून, 2015

Office Memorandum

Subject:- Grant of Dearness Relief to State Government Revised/Pre revised Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-251/xxvii(7)02/2013, dated: 20 Oct, 2014 on the subject mentioned above sanctioning of Dearness Relief for revised pension at the rate of 107% and for unrevised pension at the rate of 212% with effect from 01-07-2014 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all as above subject pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 113% and 223% respectively with effect from 01 Jan, 2015, in supersession of the rates mentioned in the O.M. 20 Oct, 2014 referred as above.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/Ten/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Bhaskaranand)
Secretary

–2..

संख्या– 91 /XXVII(7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियॉ मुद्रित कराकर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

No 91 /XXVII(7)02/2010, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
2. Additional Chief Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
3. All Commissioner/District Magistrate, Uttrakhand.
4. All Head of Department /Offices, Uttrakhand.
5. Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. Director, Treasury and Finance services Uttrakhand .
7. Director, Account and Hukdari, 23 Laxmi road, Dalanwala, Dehradun Uttrakhand .
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttrakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
10. Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Shiv Shanker Mishra)
Under Secretary